

दिनांक 04.04.2025 को अनुमोदित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

1. प्रस्तावना

हडको ने 1970 में अपनी स्थापना के बाद से अपनी गतिविधियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों को किफायती आवास प्रदान करने के साथ-साथ नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। समग्र समाज के लिए अपने योगदान के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण, हडको की गतिविधियाँ निरंतर उन गतिविधियों द्वारा निर्देशित होती रही हैं, जो सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता पर केंद्रित हैं। यद्यपि हडको कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक औपचारिक ढांचागत सीएसआर नीति और प्रमुख क्षेत्रों की दिशा में विभिन्न सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी गतिविधियाँ कर रहा है, हडको ने सीएसआर नीति तैयार की है और अपने कुल लाभ का एक हिस्सा विशेष रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत गतिविधियों को करने के लिए निर्धारित किया है। इस विशेष बजट से सीएसआर के तहत गतिविधियों को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अनिवार्य प्राथमिकता/प्रमुख क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाता है और हडको की विधिवत अनुमोदित सीएसआर नीति द्वारा विनियमित किया जाता है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 में कुछ संशोधन किए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) के अनुसार, इन नियमों को कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 कहा जाता है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2021 दिनांक 25.08.2021 के माध्यम से सीएसआर के संबंध में "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) सहित कुछ स्पष्टीकरण जारी किए हैं और लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 21.02.2022 के पत्र के माध्यम से सीपीएसई को इन्हें अंगीकृत करने का आदेश दिया है। तदनुसार, नए नियमों के विभिन्न प्रावधानों को शामिल करते हुए, हडको की सीएसआर नीति विस्तार पूर्वक नीचे दी गयी है।

2. सीएसआर नीति

"हडको की सीएसआर नीति" से तात्पर्य हडको के विजन और इसके बोर्ड द्वारा दिए गए निदेशों से युक्त एक विवरण से है, जिसमें इसकी सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है और इसमें गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं।

3. उद्देश्य एवं विजन

हडको की सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य निगम द्वारा अपने हितधारकों के परामर्श से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से संचालन करने की सतत प्रतिबद्धता होगी, ताकि समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों का उत्थान सुनिश्चित किया जा सके, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके, समुदायों का सशक्तीकरण किया जा सके, क्षमता निर्माण किया जा सके, पर्यावरण संरक्षण किया जा सके, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सके, आवास क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जा सके और गरीबों को लाभ पहुंचाया जा सके।

4. सीएसआर पर केंद्रित क्षेत्र

सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत हडको कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों का अनुपालन करते हुए गतिविधियाँ करेगा। **विभिन्न** गतिविधियों और निगरानी आदि पर होने वाले व्यय की राशि पर बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा और उसे मंजूरी दी जाएगी। उद्देश्य और विजन के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों/अधिसूचनाओं के अनुसार हडको की निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियाँ/केंद्रित क्षेत्र होंगे: -

i. मध्याह्न भोजन, भोजन आपूर्ति के लिए केन्द्रीकृत रसोई/रसोईघर, आंगनवाड़ी आदि जैसी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करके भुखमरी, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना , विकलांगता सहायता/उपकरण और टूलकिट, स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुविधाएं जैसे एम्बुलेंस, स्वास्थ्य उपकरण आदि के प्रावधान संबंधी परियोजनाओं जैसे प्रस्तावों का समर्थन करके निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य क्लीनिकों आदि के लिए समर्थन और बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय/समुदाय/भुगतान और उपयोग शौचालय आदि के प्रावधान से संबंधित परियोजनाओं को समर्थन देकर स्वच्छता , जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल आदि उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना शामिल है।

ii. विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यवसाय कौशल को बढ़ाना और आजीविका संवर्द्धन परियोजनाएं जैसे कक्षाओं का निर्माण/स्मार्ट कक्षाओं के लिए सहायता, बहुउद्देशीय हॉल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य परियोजनाएं आदि और कौशल और आजीविका विकास के प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए सहायता, कियोस्क/विक्रेता बाजार, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक विकास केंद्र आदि की स्थापना करना, जिससे समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचे/

- iii. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए गृह और छात्रावास की स्थापना करना; वृद्धाश्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना, गरीबों/बेघरों के लिए रात्रि आश्रय स्थल और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के लिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों आदि को भोजन, कपड़े, आश्रय, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आजीविका आदि जैसी बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए अन्य उपाय करना ।
- iv. पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना अर्थात् जल निकायों का संरक्षण, जल पुनर्चक्रण, जल प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर प्रकाश व्यवस्था, पवन ऊर्जा आदि को बढ़ावा देना , पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना जैसे प्रस्तावों को समर्थन प्रदान करके जल, अपशिष्ट या ऊर्जा प्रबंधन करना, जिसमें गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान देना शामिल है।
- v. ऐतिहासिक महत्व की इमारतों और स्थलों तथा कलाकृतियों का जीर्णोद्धार करने सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण करना; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का संवर्धन और विकास करना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प के संवर्धन और विकास के लिए प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण और स्मारकों/विश्व विरासत स्थलों/विरासत स्थलों/तीर्थ स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं/सुविधाओं के प्रावधान सहित संस्कृति के संवर्धन संबंधी परियोजनाओं की सहायता करना ;
- vi. सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के दिग्गजों और विधवा सहित उनकी आश्रितों के लाभ के लिए उपाय करना;
- vii. ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैराओलंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, जैसे बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल, खेल विकास केंद्र, व्यायामशालाएं, स्टेडियम आदि के निर्माण संबंधी परियोजनाओं की सहायता करना।
- viii. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) या अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास तथा राहत एवं कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में अंशदान करना ,
- ix. (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्तपोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में अंशदान करना; और

(ख) सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में योगदान; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और स्वायत्त निकाय; जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); फार्मास्यूटिकल्स विभाग; आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान करने में लगे हैं।

- x. ग्रामीण विकास परियोजनाएं जैसे सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक शौचालय, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना और कक्षा कक्ष, स्मार्ट क्लास रूम आदि की स्थापना के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देना, कौशल और आजीविका विकास परियोजनाओं के प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का समर्थन करना, जिसमें कियोस्क, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, गरीबों के लाभ के लिए विक्रेता बाजार आदि की स्थापना करना और ग्रामीण भारत के विकास के लिए बनाई गई कोई भी परियोजना इस योजना के अंतर्गत शामिल की जाएगी।
- xi. स्लम क्षेत्र विकास ("स्लम क्षेत्र" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसे केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कानून के तहत इस प्रकार घोषित किया गया हो।) निम्न आय वाले आवासों में पर्यावरण सुधार, स्वच्छता/इंफ्रास्ट्रक्चर आदि सहित स्लम पुनर्विकास के लिए परियोजनाओं की सहायता करना।
- xii. आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और आश्रय स्थल का निर्माण जैसी पुनर्निर्माण गतिविधियाँ और आपदा प्रभावित पीड़ितों को भोजन और राहत सामग्री जैसी मूल आवश्यकताएं प्रदान करना शामिल है।

ऊपर उल्लिखित विशिष्ट गतिविधियों के अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसार तथा समय-समय पर डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पहचान की गई विभिन्न अन्य गतिविधियां/परियोजनाएं/प्रमुख क्षेत्र भी शुरू किए जा सकते हैं, ताकि सीएसआर नीति के उद्देश्यों का व्यापक/उदार कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

"सीएसआर समिति" का तात्पर्य बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति है और इसमें तीन या अधिक निदेशक शामिल होंगे, जिनमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा या समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा गठित किया जाएगा। कंपनी सचिव उपरोक्त समिति का सचिव होगा।

सीएसआर समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में उल्लिखित नियमों के अनुसार होंगी। सीएसआर समिति सीएसआर नीति तैयार करेगी और बोर्ड को उसमें संशोधन की सिफारिश करेगी, सीएसआर के तहत किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करेगी और एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी जिसमें स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची, क्रियान्वयन का तरीका, निधियों के उपयोग की पद्धति और क्रियान्वयन कार्यक्रम, निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र और ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों की आवश्यकता और प्रभाव आकलन का विवरण शामिल होगा।

हालाँकि, बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार, उचित औचित्य या भारत सरकार के निदेशों के आधार पर, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी योजना में परिवर्तन कर सकता है।

6. निदेशक मंडल

सीएसआर प्रावधानों के संबंध में निदेशक मंडल की जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क. सीएसआर नीति को मंजूरी देना;
- ख. अपनी रिपोर्ट में ऐसी नीति की विषय-वस्तु का खुलासा करना तथा उसे कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड करना, यदि कोई हो;
- ग. यह सुनिश्चित करना कि सीएसआर नीति में शामिल गतिविधियां कंपनी द्वारा की जाती हैं;
- घ. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करे;
- ङ. वितरित सीएसआर निधियों के उपयोग के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना; तथा
- च. यदि कंपनी अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रहती है, तो बोर्ड धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ओ) के तहत दी गई अपनी रिपोर्ट में राशि व्यय न करने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा और अधिनियम की धारा 135(5) और 135(6) के प्रावधानों के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर राशि को स्थानांतरित करेगा।
- छ. ऐसी परियोजनाएँ/प्रस्ताव जिन्हें शुरू में बहु-वर्षीय परियोजना के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया था, लेकिन बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड द्वारा अवधि को एक वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार, और उस प्रभाव के लिए उचित औचित्य प्रदान करते हुए, निर्धारित परियोजना अवधि के दौरान, असाधारण परिस्थितियों में, आंशिक रूप से या पूरी तरह से चल रही परियोजना को छोड़ या संशोधित भी कर सकता है।

7. सीएसआर का कार्यान्वयन – संचालन ढांचा

I. सीएसआर गतिविधियां हडको द्वारा स्वयं अथवा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के संशोधित नियम 4(i) के अंतर्गत शामिल किसी इकाई के माध्यम से की जाएंगी:-

- क) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जो धारा 10 के खंड (23 सी) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (via) के तहत छूट प्राप्त है या धारा 12 ए के तहत पंजीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 जी के तहत अनुमोदित है, जिसे कंपनी द्वारा अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर स्थापित किया गया है, या
- ख) अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कंपनी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी; या
- ग) संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई भी वैधानिक निकाय जैसे *केंद्रीय बोर्ड, राज्य शहरी स्थानीय निकाय, नगर परिषद/निगम, जिला परिषद, आवास बोर्ड, विकास प्राधिकरण, पंचायतें आदि* अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों को करने के लिए; या
- घ) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जिसे धारा 10 के खंड (23 सी) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (via) के तहत छूट दी गई है या धारा 12 ए के तहत पंजीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत अनुमोदित है, और इसी तरह की गतिविधियों को करने में कम से कम तीन वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित है। इसके अलावा, इन संस्थाओं (गैर-सरकारी संस्थाओं) से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश/आवश्यकताओं का अनुपालन ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाना है (जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा इसकी 546वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है) और एमसीए, भारत सरकार द्वारा जारी सीएसआर नीति संशोधन नियम, 2021 के अनुसार अद्यतन किया गया है, जो अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न हैं।

II. ऊपर यथाउल्लिखित, सीएसआर गतिविधियों को करने वाली प्रत्येक इकाई को दिनांक 01 अप्रैल 2021 से रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म सीएसआर-1 प्रस्तुत करके कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 21 (एमसीए 21) पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा ताकि वह सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए हडको से सीएसआर सहायता प्राप्त कर सके और हडको को विशिष्ट सीएसआर पंजीकरण संख्या की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, यह प्रावधान (एमसीए पोर्टल पर विशिष्ट सीएसआर पंजीकरण संख्या) दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से पहले अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों को प्रभावित नहीं करेगा ।

- III. यद्यपि, कंपनी अधिनियम में उल्लेख किया गया है कि कंपनी को सीएसआर गतिविधियों के चयन में 'स्थानीय क्षेत्र' को वरीयता देनी चाहिए, (यह केवल निर्देशिका है और एमसीए एफएक्यू 25.08.2021 के अनुसार प्रकृति में अनिवार्य नहीं है), किन्तु डीपीई के दिशानिर्देशों के मद्देनजर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि "सीपीएसई, जिनके व्यवसाय की प्रकृति के कारण वाणिज्यिक संचालन का कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, वे देश के भीतर अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं", हडको देश के भीतर अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं शुरू कर सकता है, क्योंकि इसका संचालन पूरे देश में फैला हुआ है और इसके कार्यालय देश के सभी प्रमुख राज्यों में स्थित हैं।
- IV. सीएसआर गतिविधियों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की भागीदारी से क्रियान्वित किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों की पहचान/कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल बिंदु होंगे।
- V. सीएसआर परियोजनाओं को पात्र एजेंसियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन के आधार पर स्वीकार किया जाएगा, जिसमें एकल परियोजना के लिए 250 लाख रुपये तक की सीएसआर सहायता शामिल होगी। प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए, परियोजना लागत के 100% तक सीएसआर सहायता प्रदान की जा सकती है।
- VI. सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/कॉर्पोरेट कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। प्रस्तावों की जांच क्षेत्रीय कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रचलित प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। जांच किए जाने के बाद, व्यवहार्य पाए गए प्रस्तावों को बोर्ड द्वारा बोर्ड की सीएसआर समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ उसकी संस्तुति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- VII. सीएसआर गतिविधियां अनुमोदित वार्षिक योजना में निर्दिष्ट क्षेत्रों /जोर दिये जाने वाले क्षेत्रों में शुरू की जाएंगी और उन्हें दो श्रेणियों अर्थात् चालू परियोजनाएं और चालू परियोजनाओं के अलावा अन्यमें वर्गीकृत किया जाएगा।

(क) चालू परियोजना को कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 2(1) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है: -

- क. एक बहुवर्षीय परियोजना, जो एक से अधिक वित्तीय वर्षों तक चलती है;
- ख. प्रारंभ होने के वर्ष को छोड़कर अधिकतम तीन वर्ष की समयावधि होनी चाहिए;
- ग. इसमें ऐसी परियोजना भी शामिल है जिसे आरंभ में बहुवर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था, किन्तु जिसकी अवधि को बोर्ड द्वारा उचित औचित्य के आधार पर एक वर्ष से आगे बढ़ा दिया गया है।

परियोजना को "चालू" कहलाने के लिए वित्तीय वर्ष के भीतर शुरू होना चाहिए। इसका आशय ऐसी परियोजना को शामिल करना है जिसके आरंभ और समापन की तारीख की पहचान की जा सके।

एक चालू परियोजना तब "आरंभ" मानी जाएगी जब एजेंसी ने परियोजना से संबंधित कार्य आदेश जारी कर दिया हो या परियोजना के निष्पादन के लिए अनुबंध प्रदान कर दिया हो।

चालू परियोजना की परिभाषा के अनुसार, अधिकतम स्वीकार्य समय अवधि तीन वित्तीय वर्ष होगी, जिसमें वह वित्तीय वर्ष शामिल नहीं होगा जिसमें परियोजना शुरू की गई है। किसी भी परिस्थिति में चालू परियोजना की समय अवधि को उसकी स्वीकार्य सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

ऐसी चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी अनुमोदित समयसीमा और वर्षवार आवंटन के संदर्भ में की जाएगी तथा समग्र स्वीकार्य समयावधि के भीतर परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए संशोधन, यदि कोई हो, किया जाएगा।

ख. चालू परियोजनाओं के अलावा का तात्पर्य: ऐसी परियोजना जो ऊपर यथापरिभाषित चालू नहीं है।

VIII. परियोजनाओं या कार्यक्रमों या सीएसआर गतिविधियों को चलाने के लिए हड़को अन्य कम्पनियों के साथ इस प्रकार सहयोग कर सकता है कि संबंधित कम्पनियों की सीएसआर समितियां इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों।

IX. बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा सीएसआर के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, अनुमोदित प्रस्तावों के लिए स्वीकृति पत्र एवं समझौता क्षेत्रीय

कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सीएसआर निधियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार जारी किया जाएगा।

- X. स्वीकृत अनुदान सहायता क्षेत्रीय कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा कार्य आदेश/निविदा दस्तावेज/अनुबंध समझौते की भुगतान शर्तों के अनुसार डीओपी की सीमा के अनुसार जारी की जाएगी। किसी भी एक एजेंसी को एक वर्ष में जारी की जाने वाली राशि चालू वर्ष के वार्षिक सीएसआर बजट के 20% से अधिक नहीं होगी।
- XI. कार्यान्वयन एजेंसी को सभी आगे/मध्यवर्ती रिलीज एजेंसी के मुख्य कार्यकारी द्वारा जारी किए गए और एजेंसी के लेखा परीक्षक/चार्टर अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संतोषजनक उपयोग प्रमाण पत्र पर आधारित होंगे।
- XII. स्थायी निर्माण परियोजनाओं के लिए, स्वीकृति पत्र जारी करने से पहले, अपने-अपने क्षेत्राधिकार में स्थित परियोजनाओं के लिए आरओ द्वारा परियोजना का **स्वीकृति-पश्चात** स्थल निरीक्षण किया जाएगा।
- XIII. सरकारी भूमि के अलावा अन्य भूमि पर स्थायी निर्माण के मामलों में, प्रथम किस्त जारी करने से पहले, आरओ में सूचीबद्ध अधिवक्ता से गोपनीय तरीके से शीर्षक जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी जिसे आरओ/आरसी में तैनात विधि अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
- XIV. गैर-सरकारी भूमि के मामलों में, हकदारी जांच रिपोर्ट के अलावा, सीएसआर प्रस्ताव की मंजूरी से पहले प्रस्तावित परियोजना भूमि के भूमि उपयोग की स्थिति प्राप्त की जानी चाहिए।

टिप्पणी:

- **स्वीकृति के पश्चात्** क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल का दौरा पर किए जाने वाले व्यय को सीएसआर बजट के 5% के प्रशासनिक उपरिव्यय के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा ।
- भूमि के स्वामित्व की जांच पर आने वाली लागत को एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।

8. सीएसआर बजट एवं सीएसआर व्यय का आवंटन

- i. हडको द्वारा सीएसआर गतिविधियां कंपनी के निवल लाभ के एक हिस्से से की जाएंगी, जिसे प्रत्येक वर्ष बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि "प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के

अनुसरण में, तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करे।"

- ii. किसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मात्र धनराशि का वितरण तब तक व्यय नहीं माना जाएगा जब तक कार्यान्वयन एजेंसी पूरी राशि का उपयोग नहीं कर लेती तथा परियोजना के लिए जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देती।
- iii. यदि कंपनी बोर्ड द्वारा निर्धारित सीएसआर राशि (सीएसआर बजट) व्यय करने में असफल रहती है, तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में *राशि व्यय न करने का कारण निर्दिष्ट करेगा और जब तक कि अप्रयुक्त राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित न हो, ऐसी अप्रयुक्त राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर देगा।*
- iv. *किसी भी चालू परियोजना के लिए, निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली, अप्रयुक्त बची हुई कोई भी राशि, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर हडको के "अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता" नामक एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, और ऐसी राशि को कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के प्रति अपने दायित्व के अनुसरण में ऐसे हस्तांतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर व्यय किया जाएगा, ऐसा न करने पर, हडको तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में इसे स्थानांतरित कर देगा।*
- v. सीएसआर के प्रशासनिक ओवरहेड वित्तीय वर्ष के लिए हडको के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत (5%) से अधिक नहीं होंगे। प्रशासनिक ओवरहेड हडको द्वारा सीएसआर कार्यों के सामान्य प्रबंधन और प्रशासन के लिए किए गए व्यय हैं। हालांकि, किसी विशेष सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम के डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सीधे किए गए व्यय को प्रशासनिक ओवरहेड में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, सीएसआर गतिविधियों के प्रबंधन पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय प्रशासनिक ओवरहेड नहीं माने जाएंगे।
- vi. सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा और इसका उपयोग केवल सीएसआर उद्देश्यों के लिए किया जाएगा या हडको के

अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और कंपनी की सीएसआर नीति और वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में व्यय किया जाएगा या ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

vii. सीएसआर राशि हडको द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए व्यय की जा सकती है, जो निम्नलिखित के पास होगी -

(क) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी, जिसके पास धर्मार्थ उद्देश्य हों और नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत सीएसआर पंजीकरण संख्या हो; या

(ख) उक्त सीएसआर परियोजना के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूहों, सामूहिक संगठनों, संस्थाओं के रूप में, या

(ग) कोई सार्वजनिक प्राधिकरण:

बशर्ते कि कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के प्रारंभ होने से पहले कंपनी द्वारा बनाई गई कोई भी पूंजीगत परिसंपत्ति, ऐसे प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर इस नियम की आवश्यकता का अनुपालन करेगी, जिसे उचित औचित्य के आधार पर बोर्ड के अनुमोदन से नब्बे दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क, ऐसे हस्तांतरण के वर्ष में स्वीकार्य सीएसआर व्यय के रूप में योग्य होंगे।

viii. जहां हडको धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत प्रदान की गई आवश्यकता के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित निधि से अधिक राशि व्यय करता है, ऐसी अतिरिक्त राशि को धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत व्यय करने की आवश्यकता के विरुद्ध तत्काल बाद के तीन वित्तीय वर्षों तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेट किया जा सकता है: -

- i. सेट ऑफ के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि में सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष (यदि कोई हो) शामिल नहीं होगा।
- ii. इस आशय का प्रस्ताव हडको के बोर्ड द्वारा पारित किया गया है।

यदि कोई अतिरिक्त राशि सेट ऑफ के लिए छोड़ दी जाती है, तो वह तीसरे वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगी।

- ix. सीएसआर व्यय अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों से परे नहीं किया जा सकता है। किसी भी इकाई के कोष में योगदान स्वीकार्य सीएसआर व्यय नहीं है। इसके अलावा, सीएसआर राशि को सरकारी योजनाओं में संसाधन की कमी को पूरा करने के स्रोत के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

9. निगरानी और मूल्यांकन

- i. सीएसआर परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से की जाएगी और प्रत्येक तिमाही में कॉर्पोरेट कार्यालय को प्रासंगिक रिपोर्ट भेजी जाएगी। यदि गतिविधियों के कार्यान्वयन के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों के संज्ञान में कोई प्रतिकूल बिंदु आता है , तो क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इसकी रिपोर्ट मुख्य कार्यालय को दी जाएगी। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय भुगतान जारी करने से पहले प्रगति को प्रमाणित करेगा और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करके और स्थल का दौरा करके, परियोजना की तस्वीरें लेकर और हडको द्वारा जारी सीएसआर निधि/अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र लेकर परियोजना की निगरानी करेगा ।
- ii. जारी की गई किस्त का उपयोग जारी होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा और यदि निर्धारित अवधि के भीतर इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो एजेंसी को हडको को इसके कारणों के साथ-साथ संभावित अवधि के बारे में भी सूचित करना होगा जिसके दौरान एजेंसी द्वारा उपयोग किया जाएगा। इसके विश्लेषण के आधार पर हडको एक निर्णय लेगा जो एजेंसी के लिए बाध्यकारी होगा।
- iii. परियोजना घटकों में परिवर्तन, परियोजना लागत में परिवर्तन और साइट/स्थान में परिवर्तन, निधि के उपयोग के लिए समय विस्तार सहित समय विस्तार आदि और परियोजना के पूरा होने सहित परियोजना में किसी भी बाद के संशोधन/संशोधन के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
- iv. सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में प्रत्येक छह महीने में सीएसआर समिति और बोर्ड को अवगत कराया जाएगा ।

10. प्रभाव आकलन

- i. हडको अपनी सीएसआर परियोजनाओं, जिनका परिव्यय 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक है तथा जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हैं, का प्रभाव मूल्यांकन, बोर्ड द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से करेगा।

- ii. उपरोक्त प्रभाव आकलन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष रखी जाएंगी और उन्हें सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा। इस संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि संपूर्ण प्रभाव आकलन रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए वेब-लिंक और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में प्रभाव आकलन रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश प्रदान करना, उक्त नियम का पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा।
- iii. जहां भी लागू हो, कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर प्रभाव आकलन किए जाने के मामले में, कंपनी उस वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए व्यय दर्ज करेगी, जो उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय का 2% या 50 लाख रुपये, जो भी अधिक हो, होगा।

11. सीएसआर रिपोर्टिंग

किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर संबंधी एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी, जिसमें समय-समय पर भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे।

12. सीएसआर संबंधी गतिविधियों का अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शन

हडको को अपनी सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को सार्वजनिक पहुंच के लिए कंपनी की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकट करना होगा।

13. निर्मित परिसंपत्तियों का अनुरक्षण और रखरखाव

सीएसआर परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए किसी सीएसआर अनुदान पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, सीएसआर गतिविधियों के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए, आवेदक एजेंसी से लिखित आश्वासन प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक डीपीआर में अनिवार्य रूप से संचालन और रखरखाव प्रबंधन का बहुत स्पष्ट रूप से विवरण होगा और कार्यान्वयन के लिए निधि जारी करने से पहले चुनी गई एजेंसी से एक वचनबद्धता की आवश्यकता होगी।

14. विविध

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का तात्पर्य कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में निर्धारित अपने वैधानिक दायित्व के अनुसरण में कंपनी द्वारा इन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाने वाली गतिविधियाँ हैं, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

- क. कंपनी के सामान्य व्यवसाय के अनुसरण में शुरू की गयी गतिविधियाँ;
- ख. राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खेल कर्मियों के प्रशिक्षण को छोड़कर, भारत के बाहर की जाने वाली गतिविधियाँ;
- ग. अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का अंशदान;
- घ. वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 2 के खंड (के) में यथापरिभाषित कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियाँ;
- ङ. अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए विपणन लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा प्रायोजन के आधार पर समर्थित गतिविधियाँ;
- च. भारत में लागू किसी कानून के तहत किसी अन्य वैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ।

आम तौर पर, सीएसआर गतिविधि का उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुंचाना होता है और यह गतिविधि लाभार्थियों के किसी भी वर्ग के साथ गैर-भेदभावपूर्ण होनी चाहिए। सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां जो केवल कंपनी के कर्मचारी और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाती हैं, उन्हें अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, मैराथन/पुरस्कार/धर्मार्थ योगदान/विज्ञापन/टीवी कार्यक्रमों के प्रायोजन आदि जैसे एकमुश्त आयोजन सीएसआर व्यय के हिस्से के रूप में योग्य नहीं होंगे।

15. कंपनी अधिनियम के बीच इस नीति का किसी भी प्रकार का टकराव होने की स्थिति में, कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

अनुबंध - क

गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश

क. पात्रता मापदंड

मौजूदा सीएसआर नीति में निर्दिष्ट प्रमुख क्षेत्रों के अनुसार सीएसआर सहायता के लिए संस्थाओं (एनजीओ - सोसायटी/ट्रस्ट/ धारा 8 कंपनी) से प्राप्त और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले प्रस्तावों पर आवेदन के आधार पर विचार किया जाएगा: -

1. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जो धारा 10 के खंड (23 सी) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (via) के तहत छूट प्राप्त

है या धारा 12 ए के तहत पंजीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 की 80 जी के तहत अनुमोदित है,

- II. सहायता के लिए आवेदन करने की तिथि को संस्था 5 वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए (पंजीकरण की तिथि से गणना की जाएगी)।
- III. गैर-सरकारी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, हडको सीएसआर नीति के अनुमोदित क्षेत्रों के अनुरूप होना चाहिए। प्रस्तावित गतिविधि करने और अनुदान आदि प्राप्त करने के लिए उसे अपने संविधान और/या शासकीय कानून के तहत अनिवार्य/अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
- IV. संस्थाओं ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान तीन समान परियोजनाओं में से कम से कम दो को पूरा किया हो, जिसका मूल्य प्रस्तुत प्रस्ताव की परियोजना लागत का 50% हो। यदि परियोजना के स्वरूप में रखरखाव की आवश्यकता हो, तो गैर-सरकारी संस्थाओं को पूर्ण की गई परियोजनाओं का रखरखाव रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करना होगा।
- V. गैर-सरकारी संस्थाओं को पिछले पांच वर्षों में अपने द्वारा शुरू की गई सभी परियोजनाओं में से कम से कम 60% को संतोषजनक ढंग से पूरा करना चाहिए। गैर-सरकारी संस्थाओं को अपने हाथ में कुल कार्य (सीएसआर और अन्य कार्य) की सूची घोषित करनी होगी, जिसमें इसकी लागत, पूरा होने की अवधि, वर्तमान प्रगति और जिस एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं उसका नाम शामिल होना चाहिए। इसके अलावा, गैर-सरकारी संस्थाओं को ऐसे सीएसआर कार्य नहीं सौंपे जाएँगे, जिनका कुल कार्य गैर-सरकारी संस्थाओं के पिछले तीन वर्षों के उच्चतम टर्नओवर (वार्षिक खाते से सत्यापित किया जाना चाहिए) के दोगुने से अधिक हो। इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा हडको द्वारा उचित दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित करेगी।

(उपर्युक्त के समर्थन में, गैर-सरकारी संस्थाओं को पिछले पांच वित्तीय वर्षों में लिए गए/निष्पादित/पूर्ण किए गए/प्रगति पर/नहीं लिए गए प्रस्तावों और लिए गए प्रस्तावों का विवरण (वर्षवार) संदर्भ, सहायक दस्तावेज, फोटोग्राफ, कार्य पुरस्कार पत्र आदि के साथ प्रस्तुत करना होगा।)
- VI. गैर-सरकारी संस्थाओं का भारत में स्थायी कार्यालय/पता होना चाहिए, जिसमें बुनियादी ढांचागत सुविधाएं (परिसर (चाहे स्वयं का हो या किराए का), बुनियादी कार्यालय उपकरण, बुनियादी शिक्षण

सहायक सामग्री उपलब्ध हो आदि) मौजूद हों और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आवेदन में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

- VII. गैर-सरकारी संस्थाओं के पूर्ववृत्त सत्यापन योग्य/पुष्टि के अधीन होने चाहिए और उनके पास स्थिर बुनियादी ढांचा होना चाहिए। गैर-सरकारी संस्थाओं को परियोजना में शामिल कर्मचारियों की संरचना/संख्या, नाम, भूमिका और कर्मचारियों/आयोजक आदि की जिम्मेदारियाँ, संगठन की क्षमताएँ, कार्यक्रम/परियोजना के संदर्भ में कर्मचारियों का अनुभव और विशेषज्ञता, संगठन द्वारा कवर किया गया भौगोलिक क्षेत्र, संगठन द्वारा शुरू की गई अन्य परियोजनाएँ, सहायक दस्तावेज़ों और संस्था और उसके प्रमोटरों और प्रमुख कर्मियों के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक के केवाईसी मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- VIII. क्रिसिल, केयर, आईसीआरए और आईआरआर से वैध स्वैच्छिक संगठन ग्रेडिंग (वीओ रेटिंग)। ग्रेडिंग शीर्ष या सर्वोत्तम ग्रेडिंग से दो पायदान नीचे से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् ग्रेडिंग शीर्ष तीन श्रेणियों के भीतर होनी चाहिए। संस्था को प्रस्ताव के कार्यान्वयन के दौरान ग्रेडिंग को वैध बनाए रखना होगा और इसमें किसी भी परिवर्तन के बारे में हडको को सूचित करना होगा।
- IX. प्रस्तावित परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं के पास पर्याप्त नकदी प्रवाह होना चाहिए अथवा उचित टाई-अप की पहचान की जानी चाहिए तथा उसे लागू किया जाना चाहिए (उन प्रस्तावों के लिए जिनमें पूरा होने के बाद संचालन एवं रख-रखाव की आवश्यकता है)।
- X. वर्तमान में या पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं (सक्षम प्राधिकारी से संतोषजनक कार्यान्वयन को दर्शाने वाले प्रासंगिक प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित) और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीपीएसई के पैनल में काम करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- XI. गैर-सरकारी संस्थाओं का सरकार और हडको के निदेशक मंडल के साथ कोई हितों का टकराव नहीं होना चाहिए।
- XII. गैर-सरकारी संस्थाओं के पास परियोजना के लिए जारी की गई राशि का उपयोग करने के लिए छह महीने का समय है, तथापि यदि राशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो संस्था को छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले इसे हडको को वापस करना होगा (यह राशि संस्था को

तब पुनः जारी की जा सकती है जब वह इसका उपयोग करने के लिए तैयार हो/ उपयोग करने की स्थिति में हो) अन्यथा जारी की गई तिथि से एसबीआई आधार दर पर दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा।

XIII. एक वर्ष में सभी गैर सरकारी संगठनों के प्रस्तावों के लिए आवंटन वार्षिक सीएसआर स्वीकृतियों के 25% की समग्र सीमा तक या समय-समय पर तय किए गए अनुसार सीमित होगा।

XIV. अनुमोदित सीएसआर नीति में उल्लिखित निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र का पालन एनजीओ के लिए भी किया जाएगा ।

XV. अन्य सभी पहलू जिनका उल्लेख विशेष रूप से इन दिशा-निर्देशों में नहीं किया गया है, वे पहले से स्वीकृत सीएसआर नीति के अनुसार होंगे। इसके अलावा गैर-सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए , निम्नलिखित बिंदुओं पर भी विचार किया जाएगा:

क. ऐसी कोई गैर-सरकारी संस्था, जिसके खिलाफ धोखाधड़ी, धन का दुरुपयोग, लाभार्थियों का शोषण आदि जैसे अपराधों के संबंध में कोई कानूनी विवाद या जांच लंबित हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख. कपार्ट, सीएसडब्ल्यूबी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आदि जैसी किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में डाली गई गैर-सरकारी संस्थाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ग. गैर-सरकारी संस्थाओं को समय-समय पर बनाए गए विभिन्न कानूनों, उनके तहत बनाए गए नियमों तथा सरकार या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

उपर्युक्त के समर्थन में गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

XVI. एजेंसियों को नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण आईडी प्रस्तुत करनी होगी।

XVII. सीएसआर-1 पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना।

संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज:

- i. विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र .
- ii. रजिस्ट्रार के पास फॉर्म सीएसआर-1 (ई-फॉर्म पोर्टल) भरकर केंद्र सरकार के साथ एजेंसी/संस्था के पंजीकरण को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों की प्रतिलिपि। संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए फॉर्म की एक प्रति, जिसे प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव या प्रैक्टिस कर रहे कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो, एमसीए पोर्टल से जनरेट किए गए सीएसआर पंजीकरण नंबर के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- iii. एजेंसी के निर्माण और उसके प्रकार को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज जैसे गठन संबंधी अधिनियम / एमओए नियम / ट्रस्ट डीड आदि, निगमन / पंजीकरण का प्रमाण पत्र और परियोजना को लागू करने के लिए भूमि पर एजेंसी के स्वामित्व या व्यवस्था / अधिकारों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज और भूमि का कब्जा, जिसके बाद प्रस्तावित गतिविधि शुरू की जानी है आदि (पंजीकरण प्रमाण पत्र / ट्रस्ट डीड / एमओए / एमओयू की प्रति)।
- iv. प्रस्तावित परियोजना को शुरू करने तथा प्रस्तावित गतिविधि के लिए हडको से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संकल्प/आदेश (जैसा लागू हो) तथा इसके प्रमोटरों आदि को अधिकृत करके आवश्यक दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, सामान्य मुहर लगाना भी शामिल है।
- v. एजेंसी और उसके प्रमोटरों तथा प्रमुख कार्मिकों के संबंध में एनएचबी/आरबीआई के केवाईसी मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना।
- vi. प्राप्त अनुदान आदि का विवरण तथा पिछले 5 वर्षों में की गई परियोजनाओं का विवरण तथा जनशक्ति की उपलब्धता।
- vii. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (लेखापरीक्षित)।
- viii. पैन कार्ड और टैन नम्बर की प्रति।
- ix. निदेशक मंडल/ट्रस्टी/कार्यकारी समिति के सदस्यों/शासी निकाय के सदस्यों की सूची, उनके पते और संपर्क नंबर।
- x. इस आशय का प्रमाण पत्र कि संस्थाओं को किया गया अंशदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए तथा 80जी या विद्यमान/लागू वित्त विधेयक के संबंधित खंडों के तहत कर छूट के लिए अर्हता पूरी करता है तथा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं को छोड़कर, वैध छूट प्रमाण पत्र की प्रति।
- xi. यह घोषणा-पत्र कि क्या निदेशक मंडल/ट्रस्टी/कार्यकारी समिति के सदस्य/शासी निकाय के सदस्यों में से किसी का हडको के साथ कोई आधिकारिक संबंध है या वे हडको के किसी बोर्ड सदस्य से संबंधित हैं।

